

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या- 58 / 2022

जीसीएमएस- 2022 / 166

दायर दिनांक- 09.09.2022

निर्णय दिनांक- 14.12.2022

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्री गोपाल कुमावत पुत्र गणेशीलाल कुमावत जाति कुमावत निवासी केशव नगर, छोटी बस्ती, पुष्कर जिला अजमेर।

1. श्रीमती गेंदी देवी पत्नी बिरदा जाति रावत निवासी कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
2. श्री नाथूसिंह पुत्र बिरदा जाति रावत निवासी कानस, पुष्कर।
3. श्री पप्पूसिंह पुत्र बिरदा जाति रावत निवासी कानस, पुष्कर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर।



वाद-पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-1.श्री एन.एल.बागडी, अभिवक्ता, वादी।

2.श्री जानीसिंह रावत., अभिवक्ता, प्रतिवादी

3. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

--:: निर्णय ::--

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की सहखातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजीयात ग्राम नेडलिया पटवार हल्का कानस भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुष्कर तहसील पुष्कर में अवस्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

खाता संख्या नया/पुराना	खसरा नंबर	रकबा (हेक्ट0)	किस्म
63	619	0.05	चाही

उक्त वादीग्रस्त आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 01 लगायत 3 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा निहित है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 लगायत 03 अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, जो कि जमाबंदी संवत् 2070-2073 से

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)
14/12/2022



स्वयं सिद्ध है। वादग्रस्त आराजी का आज दिनांक तक मौके पर विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त आराजी पर शामलात रूप से कृषि किया जाना संभव नहीं है क्योंकि मौके पर वादग्रस्त आराजीयात की हकबन्दी को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है अतः वादी द्वारा उक्त भूमि का उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाय मिंटस एंड बाउंडस विधिक विभाजन किया जाकर तदानुसार मौके एवं राजस्व रिकार्ड में पालना करवायी जाने की घोषणात्मक आज्ञापति हेतु यह वाद-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर वादी के वाद-पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में दिनांक 30.09.2022 को प्रतिवादी सं. 01 की ओर से वकील श्री जानीसिंह रावत द्वारा वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। दिनांक 12.11.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उभयपक्ष द्वारा उपस्थित होकर दिनांक 12.11.2022 को पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक के द्वारा तैयार किये गये बंटवारे पर अपनी हस्ताक्षरमय सहमति प्रदान की। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्रांक/तह.पु/भूअ./न्याय/2022/4181 दिनांक 18.11.2022 के माध्यम से कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा रंग भरकर पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार, पुष्कर द्वारा प्रस्तावित बंटवारानामा की सूचना उभयपक्ष अभिभाषक को प्रदान कर पत्रावली को आवश्यक कार्यवाही/अंतिम बहस हेतु तलब की गई। उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा तहसीलदार, पुष्कर द्वारा प्रस्तावित बंटवारानामा पर सहमति जाहिर कर अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की उपस्थिति में बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन एवं बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में उभयपक्षकारान अपने-अपने हक हिस्से का विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अधधीन कराये जाने के अधिकारी है ऐसी स्थिति में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा नेडलिया पटवार हल्का कानस की आराजीयात खाता संख्या 63 के खसरा नंबरान 619 रकबा 0.05 हैक्ट0 वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, का विभाजन किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार तहसीलदार पुष्कर के संलग्न नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा कुर्रेजात रिपोर्ट, उभयपक्ष अभिभाषक की सहमति एवं अंतिम बहस अनुसार बने निम्न प्रकार के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :-

क्रम सं०	खातेदार का नाम	खसरा नं०	रकबा (हैक्ट०)	किस्म	नक्शे में रंग
1.	गोपाल पुत्र गणेशीलाल जाति कुमावत सा. केशव नगर, छोटी बस्ती, पुष्कर, अजमेर।	619/1	0.0250	चाही 1	पीला

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

	कुल	किता 1	0.0250	—	—
2.	1. श्रीमती गेंदी पत्नी बिरदा जाति रावत हिस्सा 1/3 2. श्री नाथूसिंह पुत्र बिरदा जाति रावत हिस्सा 1/3 3. श्री पप्पूसिंह पुत्र बिरदा जाति रावत हिस्सा 1/3 सा. देह खातेदार	619/2	0.0250	चाही 1	हरा
	कुल	किता 1	0.0250	—	—

उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते हैं। अंतिम डिक्री इसी कदर



निर्णय दिनांक 14.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास

14/12/2022
सुखराम पिण्डे
उपखण्ड अधिकारी
(अ.स.पु.स.मेर)

अंतिम-डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 58 / 2022

जीसीएमएस– 2022 / 166

दायर दिनांक– 09.09.2022

निर्णय दिनांक– 14.12.2022

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्री गोपाल कुमावत पुत्र गणेशीलाल कुमावत जाति कुमावत निवासी केशव नगर, छोटी बस्ती, पुष्कर जिला अजमेर।

1. श्रीमती गेंदी देवी पत्नी बिरदा जाति रावत निवासी कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
2. श्री नाथूसिंह पुत्र बिरदा जाति रावत निवासी कानस, पुष्कर।
3. श्री पप्पूसिंह पुत्र बिरदा जाति रावत निवासी कानस, पुष्कर,।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर।

वाद-पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-1.श्री एन.एल.बागडी, अभिवक्ता, वादी।

2.श्री जानीसिंह रावत., अधिवक्ता, प्रतिवादी

3. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

—:: अंतिम डिक्री मुकदमा इबताई ::—

वादी का वाद बाबत बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा को उभयपक्ष अभिभाषक की सहमति, अंतिम बहस, संलग्न नक्शा ट्रेस व कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी की जाती है। विभाजन आराजीयात को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर के खाता संख्या 63 के लिए विभाजन निम्नानुसार है-

क्रम सं०	खातेदार का नाम	खसरा नं०	रकबा (हैक्ट०)	किस्म	नक्शे में रंग
1.	गोपाल पुत्र गणेशीलाल जाति कुमावत सा. केशव नगर, छोटी बस्ती, पुष्कर, अजमेर।	619/1	0.0250	चाही 1	पीला
	कुल	किता 1	0.0250	—	—

उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

2.	1. श्रीमती गेंदी पत्नी बिरदा जाति रावत हिस्सा 1/3	619/2	0.0250	चाही 1	हरा
	2. श्री नाथूसिंह पुत्र बिरदा जाति रावत हिस्सा 1/3				
	3. श्री पप्पूसिंह पुत्र बिरदा जाति रावत हिस्सा 1/3 सा. देह खातेदार				
	कुल	किता 1	0.0250	-	-

उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते हैं। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय दिनांक 14.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।



A
 सुखराम मिश्रा
 उप जिला अधिकारी
 (आर.ए.ओ. सरे-इजलास)
 14/12/2022